न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/249

1. जगन्नाथ आत्मज सीताराम जी ।
2. रामचन्द्र आत्मज सीताराम जी ।
3. बृजमोहन आत्मज सीताराम जी जाति बैरवा निवासीगण ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. आनन्दी लाल आत्मज किशन लाल
2. गोर्धन आत्मज आनन्दीलाल
3. राजेन्द्र आत्मज आनन्दीलाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/30

1. आनन्दी लाल आत्मज किशन लाल
2. गोर्धन आत्मज आनन्दीलाल
3. राजेन्द्र आत्मज आनन्दीलाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज सीताराम जी ।
2. रामचन्द्र आत्मज सीताराम जी ।
3. बृजमोहन आत्मज सीताराम जी जाति बैरवा निवासीगण ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 16/249 में एवं अपील संख्या 18/30 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 16/249 में एवं अपील संख्या 18/30 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 28.01.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी जगन्नाथ, रामचन्द्र एवं बृजमोहन ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डाबर तहसील दीगोद जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 154 की 0.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 की 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 153 की रकबा 0.19 हैक्टर कुल 04 किता की 1.64 हैक्टर भूमि स्थित है । प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा उक्त भूमि वादीगण से मुनाफा काश्त हेतु पांच वर्ष यानि सन् 2000 से हर साल ली जा रही है । जून, 2006 में प्रतिवादीगण के मुनाफे की अवधि समाप्त हो गयी । वादीगण की उक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने की कहने पर प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि को हांक जोत लिया व खसरा नम्बर 150 व 153 कुल 0.37 हैक्टर के आधे हिस्से करीब 0.18 हैक्टर भूमि को छोडकर शेष भूमि को वर्ष 2006 में हांक लिया । प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को मुनाफे की राशि अदा नहीं की । प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य से वादीगण अपने खाते व स्वामित्व की भूमि से वंचित हो रहे हैं और यदि प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर वापस कब्जा वादीगण को नहीं दिलाया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 145 की 0.73 हैक्अर, खसरा नम्बर 146 की 0.54 हैक्टर, खसरा नम्बर 150 व 153 की 0.37 हैक्टर भूमि में से 0.19 हैक्टर भूमि से बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा दिलया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल नहीं करे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे काश्त करने में व्यवधान पैदा नहीं करे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.03.2007 के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दावा वादीगण डिक्री कर दिया । तत्पश्चात् उभय पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में सहमति से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.04.2016 के द्वारा वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादीण खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 16/249 एवं प्रतिवादीगण अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 18/30 पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. अपीलान्ट ने अपील संख्या 18/30 में अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील संख्या 16/249 दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 18/30 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील संख्या 16/249 में अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं नजीरों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किये बिना ही दावा खारिज कर दिया । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक है तथा वर्ष 2006 में रस्पेडेन्ट द्वारा कब्जा नहीं छोडने पर अपीलान्ट के द्वारा दावा पेश किया गया था इससे पूर्व अपीलान्ट का कब्जा निरन्तर रहा है । उक्त तथ्य अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व अपने गवाहों से साबित कर देने के बावजूद भी अपीलान्ट का वाद मियाद बाहर होना मानकर खारिज कर दिया । अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत गवाहों द्वारा कभी भी यह स्वीकार नहीं किया है कि आराजी पर हमेशा से रेस्पोडेन्ट का कब्जा रहा हो और न ही रेस्पोडेन्ट द्वारा यह साबित किया है कि रेस्पोडेन्ट का हमेशा कब्जा रहा हो । अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना मानकर अपीलान्ट का वाद मियाद बाहर होना मानकर खारिज कर दिया । अपीलान्ट की आराजी पर रेस्पोडेन्ट का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा है एवं अतिक्रमी को न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाया जावे व दावा वादी डिक्री किया जावे ।

11. अपील संख्या 18/30 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 02 में अपीलान्ट का कब्जा वर्ष 2000 से पूर्व माना है रेस्पोडेन्ट के अधिकार समाप्त हो चुके हैं । अपीलान्ट कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है । वादी के अधिकार धारा 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से समाप्त हो चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 63 (4) में वादी के अधिकार समाप्त नहीं मानकर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील

अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त फरमाया जावे । प्रतिवादी अपीलान्ट का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपील संख्या 18/30 में-अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में वादी जगन्नाथ, रामचन्द्र एवं बृजमोहन ने अन्तर्गत धारा 188 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते की है प्रतिवादीगण द्वारा यह आराजी मुनाफा काश्त पर वर्ष 2000 से हर साल ली जा रही है । जून, 2006 में प्रतिवादीगण के मुनाफे की अवधि समाप्त हो गई । इसके बाद जब वादीगण ने कब्जा मांगा तो प्रतिवादीगण ने कब्जा नहीं छोडा । अतः प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

14. प्रतिवादीगण ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया और यह कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मुनाफे काश्त पर नहीं दी गई थी । वादीगण के पूर्वज धन्ना ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी क्रम 1 के पिता व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के दादा श्री औंकार जी उक्त आराजी पर वादीगण के पूर्वजों की जानकारी में बिना किसी बाधा के काबिज चले आ रहे हैं । अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जावे ।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 05 तनकीयात कायम की हैं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पीडब्ल्यू–1 जगन्नाथ, पीडब्ल्यू–2 बृजमोहन, डीडब्ल्यू–1 आनन्दीलाल, डीडब्ल्यू–2 गोरधन, डीडब्ल्यू– 3 कालूलाल, डीडब्ल्यू– 4 बजरंग लाल, डीडब्ल्यू– 5 बाबूलाल, डीडब्ल्यू–6 रामकैलाश के बयान कराए हैं ।

16. दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श– पी– 1 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम डाबर की वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की 1.64 हैक्टर भूमि जगन्नाथ, बृजमोहन, रामचन्द्र पिसरान छीत्या केसर बेवा छीत्या के नाम खातेदारी में दर्ज है । रसीदात सिंचाई लगान की प्रदर्श– ए–1 से ए–3, रसीदात प्रदर्श– डी–1 से डी–29 पेश की हैं ।

17. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकी नम्बर 2 जो कि वादीगण की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा करने पर जिससे बेदखल किया जाकर बेदखली की डिक्री पारित करने से सम्बन्धित है और इसे साबित करने का भार वादीगण पर है, को वादीगण के खिलाफ तय किया है और तनकी नम्बर 04 जो कि 'आया प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि पर 50–60 वर्षों से काबिज है से सम्बन्धित है और इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, को प्रतिवादीगण के खिलाफ तय किया है । ये दोनों विनिश्चय परस्पर विरोधाभासी हैं । वादीगण के द्वारा

बेदखली का दावा पेश किया है । वादग्रस्त आराजी के वादीगण खातेदार हैं । यदि यह दावा मियाद के अन्दर पेश किया गया है तो वे बेदखली के अधिकारी बनते हैं ।

18. दावे की मद संख्या 09 में यह अंकित किया गया है कि दावा अवधि मय पेश किया है और जवाबदावे की संख्या 09 में दावे को अवधि बाधित बताया गया है । बेदखली के दावे में अवधि मध्य दावा पेश होना आवश्यक होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 02 और 04 का निष्कर्ष विरोधामासी पारित किया है । बेदखली के दावे में मियाद महत्वपूर्ण प्रश्न होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि के बाबत् कोई तनकी कायम नहीं की है इस कारण निम्नानुसार अतिरिक्त तनकी कायम की जाती है :–

"आया दावा वादी अन्दर मियाद है – वादी" ।

19. इस तनकी व तनकी नम्बर 02 व 04 के विधि सम्मत निविश्चय के पश्चात् ही इस प्रकरण में विधिक निर्णय पारित किया जा सकता है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से खारिंज होने योग्य है ।

20. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/249 एवं अपील संख्या 18/30 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 18.04.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कायम की गई अतिरिक्त तनकी के साथ–साथ समस्त तनकियों पर नये सिरे से विधि सम्मत तरीके से विवेचन करते हुए विधिक निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 13.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

21. निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/1/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा